पटना में दिनांक–02 जुलाई, 2019 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

<u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये</u> :–

<u>गृह विभाग</u>
(कारा)

2.	"बिहार सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012" को निरसित करते हुए "बिहार सहायक अधीक्षक संवर्ग नियमावली, 2019" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

<u>गृह विभाग</u>
(विशेष शाखा)

3.	बिहार राज्य में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (Emergency Response Support System) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु C-DAC को निर्गत कार्यादेश तथा Service Level Agreement (SLA) में संशोधन के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

<u>गृह विभाग</u>
(आरक्षी शाखा)

4.	राज्य में थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के 350 पदों का वेतन स्तर–5 में सृजन के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

<u>गृह विभाग</u>
(आरक्षी शाखा)

5.	केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) कार्यालय के लिए सचिवालय संवर्गीय अवर सचिव–02, प्रशाखा पदाधिकारी–04, सहायक–16, उच्च वर्गीय लिपिक–2, निम्नवर्गीय लिपिक–02 का कुल 26 पद एवं पुलिस संवर्गीय पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक–01, पुलिस उपाधीक्षक–03, प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (सार्जेन्ट मेजर)–01, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक (सार्जेन्ट)–01, पुलिस निरीक्षक–05, पुलिस अवर निरीक्षक–20, पुलिस सहायक अवर निरीक्षक–10, हवलदार–10, सिपाही–60, चालक सिपाही–7 एवं निम्न वर्गीय लिपिक–01 का कुल 119 पदों सहित–145 पदों के सृजन करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

<u>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</u>

7.	"छात्रावास प्रबंधक अल्पसंख्यक कल्याण संवर्ग नियमावली 2018" के कंडिका–2 (IV) में संशोधन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

8. अनाज आधारित आसवनियों के द्वारा मानव उपभोग हेतु अयोग्य अनाजों से इथनॉल उत्पादन की अनुमति देने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. श्री हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1252/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹5190.90 लाख (एकावन करोड़ नब्बे लाख नब्बे हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

वित्त विभाग

11. दिनांक–11.12.1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त वैसे कार्यभारित कर्मी जो नियमित हुए बिना ही कार्यभारित स्थापना में सेवानिवृत्त/मृत हो गए, को माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. श्री ईश्वर सहाय राम (आई०डी०–4570), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, भभुआ सम्प्रति तकनीकी सलाहकार उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद को सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी प्रमंडल, भभुआ में नाला निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप के लिए "आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति" दिए जाने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

कृषि विभाग

13. राज्य में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे/अल्पवृष्टि के जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान एवं आकस्मिक फसल योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए डीजल अनुदान की बकाया राशि तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में खरीफ मौसम के लिए कुल 28000.00 लाख (दो सौ अस्सी करोड़) रू० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 2000.00 लाख (बीस करोड़) रू० कुल 30000.00 लाख (तीन सौ करोड़) रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 14. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

15. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के प्रावधानानुसार वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के आलोक में अनुमान्य सहायता राशि को 500 रू० से अन्यून रखने की स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

16. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019—20 में 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० को तीन बराबर किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17. विभागान्तर्गत 12 (बारह) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर कुल 18 (अठारह) ब्यॉज एवं 16 (सोलह) गर्ल्स छात्रावासों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू० 520.14 करोड़ (पाँच सौ बीस करोड़ चौदह लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 17. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

18. विभागान्तर्गत 10 (दस) अभियंत्रण महाविद्यालयों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर कुल 12 (बारह) ब्यॉज एवं 9 (नौ) गर्ल्स छात्रावासों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू० 336.00 करोड़ (तीन सौ छत्तीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।